न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 83/2025

करण सिंह बडवा पुत्र सत्यनारायण सिंह निवारी 78 वार्ड नं. 13 एल.बी.एस कॉलोनी चाकसू जिला जयपुर राज0 --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक 04.11.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक के द्वारा जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित पत्र कमांक जॉच/ सतर्कता/ 2025/ 1028 दिनांक 04.06.2025 पर जॉच उपरान्त जिला कलेक्टर टोंक के द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1776 दिनांक 09.09.2025 व 1831 दिनांक 18.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 870 दिनांक 19.09.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 746 दिनांक 01.08.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 747 दिनांक 01.08.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1934 दिनांक 03.10.2025, 2000 दिनांक 15.10.2025 व 2066 दिनांक 29.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की

740

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)